-प्रेस नोट-

जनपद मुजफ्फरनगर

दिनांक 20.09.2025

थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ़्तार-

दिनांक 20.09.2025 को थाना नई मण्डी पर नियुक्त उ0नि0 श्री शुभम चौहान मय हमराहिगण द्वारा परिवाद संख्या 1781/17 अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0 एक्ट में वारण्टी अभियुक्त उमेश कुमार रस्तौगी नि0 प्रोपराईटर एवं मालिक रस्तौगी संस (बुक स्टोर) निकट भोपा रोड रेलवे ब्रिज गऊशाला रोड नई मण्डी मुजफ्फरनगर हाल पता श्रीजी बुक्स लेन्डमार्क सिटी कोटा राजस्थान को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया।

थाना भोपा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 20.09.2025 को थाना भोपा पर नियुक्त उ0नि0 श्री रणवीरसिंह मय हमराहिगण द्वारा वाद संख्या 6949/17 अ0सं0 467/16 धारा 279,337,427 भादवि में वारण्टी अभियुक्त रविन्द्र कुमार पुत्र धीर सिंह निवासी मौहल्ला कलालान कस्बा भोकरहेडी थाना भोपा मु0नगर को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया।

थाना खतौली पुलिस द्वारा 05 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 20.09.2025 को थाना खतौली पर नियुक्त उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र श्योराण मय उ0नि0 श्री सूर्यप्रताप सिंह मय हमराहिगण द्वारा वाद सं0-63/21 धारा 323/504/307 भादवि में वारण्टी अभियुक्त हर्षित भारद्वाज पुत्र रविन्द्र शर्मा नि0 ग्राम लोधा कालोनी कस्बा व थाना खतौली मु0 नगर तथा वाद सं0 11401/24 मु0अ0सं0- 417/23 थाना खतौली मु0नगर सरकार बनाम शाकिब आदि धारा 147/148/323/452 भादवि में वारण्टी अभियुक्त 1-ओरगंजेब पुत्र अनवार निवासी ग्राम नंगला रुद्र थाना खतौली जनपद मु0नगर 2- इरशाद पुत्र अनवार निवासी ग्राम नंगला रुद्र थाना खतौली जनपद मु0नगर 3- अनवार पुत्र आजम निवासी ग्राम नंगला रुद्र थाना खतौली जनपद मु0नगर 4-जुबैर पुत्र आजम निवासी ग्राम नंगला रुद्र थाना खतौली जनपद मु0नगर को गिरफ्तार किया गया।

थाना सिखेडा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 16.95 किलोग्राम मादक पदार्थ (पिसा हुआ डोडा) बरामद।

दिनांक 20.09.2025 को थाना सिखेडा पर नियुक्त उ0नि0 श्री नेमपाल सिंह मय हमराहिगण द्वारा ऑपरेशन सवेरा अभियान के अंतर्गत 01 अवैध मादक पदार्थ तस्कर अभियुक्त पवन कुमार पुत्र श्रीचन्द उर्फ सीरिया निवासी ग्राम व थाना सिखेडा, मुजफ्फरनगर उम्र लगभग 38 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 16.95 किलोग्राम मादक पदार्थ (पिसा हुआ डोडा) बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सिखेडा पर मु0अ0सं0- 112/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा गरीब व भोले भाले व्यक्तियों के खाते खुलवाकर उन्हें साइबर फ्राड में इस्तेमाल करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 20.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक श्री सुल्तान सिंह थाना साइबर क्राइम मय हमराहिगण द्वारा अभियुक्त अंकित तोमर पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट बागपत उम्र लगभग 20 वर्ष को शामली बाईपास से शाहपुर कट से आगे शामली की तरफ पैट्रोल पम्प के पास से मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 26 अदद सिमकार्ड, 32 एटीएम/ डेबिट कार्ड, 05अदद मोबाईल फोन,01 पासबुक, 02 चैक, 01 अदद डायरी, 01 INVOICE बिल कॉपी, 01 स्टाम्प मोहर, 02 अदद आधार कार्ड, 01 वाइफाई, 01 गाडी GRAND I-10, 2,540/ रुपये नगद बरामद किये गये। जिसके सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0 30/2025 धारा 318(4), 336(3), 338, 339 बीएनएस व 66सी,66 डी आइटी एक्ट पंजीकृत किया गया।